| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 10, बुधवार, *शाके* 1943–मार्च 31, 2021<br>*Chaitra 10, Wednesday, Saka 1943- March 31, 2021* | |


भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 31, 2021**

**संख्या प.2(8)न्याय/87 :**-पारिवारिक न्यायालय (राजस्थान) नियम, 1991 के नियम 8(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पारिवारिक न्यायालय के परामर्शदाता के रूप में, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त/ प्राधिकृत करती हैः-

| S.No. | Name of the Counsellor (Recommended) | Family Court |
|---|---|---|
| 1 | Anita Shah D/O Late Shri Kesharimal Shah | Banswara |
| 2 | Vikas Pathak S/O Hetlal Pathak | Banswara |
| 3 | Smt. Rachana Singh w/o Shri Yogendra Singh | Bharatpur |
| 4 | Smt. Mamta Sharma w/o Shri Bhudev Sharma | Bharatpur |
| 5 | Shri Ram Dutt Shroti S/O Late Shri Ram Swaroop Shroti | Dholpur |

**राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,**
विनोद कुमार भारवानी,
**प्रमुख शासन सचिव।**



राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।